न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री कमलेश सिंह महरिया RTS सरदारशहर

प्रा.पत्र 07/2022 सन् 2022 ता.फैसला 21.10.2022

1. ग्रामवासी घड़सीसर तहसील सरदारशरह जिला (चूरू)

:–प्रार्थीगण

बनाम

1. गणेशदास पुत्र भागीरथ दास जाति स्वामी निवासी घडसीसर सरदारशहर (चूरू)
2. जगदीश पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी घड़सीसर तहसील सरदारशहर (चूरू)

:–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा.का.अधिनियम 1955

:–निर्णयः–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्रामवासी घड़सीसर ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम घडसीसर में गोगामेड़ी के दिखणादा पास से प्रार्थीगण के खेतों व मुस्लिम कब्रिस्तान तक सदामत का रास्ता जाता है इसी रास्ते से प्रार्थीगण व उनके परिजन अपने खेतों में व कब्रिस्तान में आवागमन करते आ रहे है। उक्त सदामत के रास्ते को खेत खसरा नं 229 रोही मौजा घड़सीसर के खातेदार गणेशदास पुत्र भागीरथ दास जाति स्वामी व जगदीश पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी घड़सीसर ने रोक दिया। तथा हमारे इस रास्ते से जाने के लिए रूकावट पैदा की और कहा कि हम इस रास्ते से नहीं जाने देंगे जबकि हम वर्षो से यानि 50–60 वर्ष से इसी रास्ते का उपयोग आवागमन हेतु कर रहें है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता हमारे खेत में व कब्रिस्तान में आवागमन का नहीं है। प्रार्थी गण ने निवेदन किया कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दर्ज कर नियमानुसर इस रास्ते को अविलम्ब खुलवाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र की जांच हेतु कार्यालय हाजा के आदेश दिनांक 22.07.2022 द्वारा हमने हल्का पटवारी व भू.अ.नि.से मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा। हल्का पटवारी व भू.अ नि. की संयुक्त रिपोर्ट न्यायालय को दिनांक 01.08.2022 को प्राप्त हुयी। पटवारी हल्का व भू.अ दृनि. ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध बताये खसरा संख्या 229 में से रास्ता/पगडंडी गुजरती थी जिसे वर्तमान में बन्द कर दिया गया है व वही पगडंडी/रास्ते पर मुस्लिम कब्रिस्तान का गेट लगा हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamalesh Singh Mahariа
Date: 2022.12.14 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध तथ्यों तथा हल्का पटवारी व भू.अ.नि. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण को नोटिस की विधिवत तामील हो चुकी है। नोटिस के प्रत्युतर में अप्रार्थी संख्या 01 गणेशदास की ओर से अधिवक्ता श्री कालीचरण शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा तथा अप्रार्थी संख्या 02 जगदीश ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा जवाब में अंकित किया कि मेरे द्वारा पगडंडी/रास्ते को रोका नहीं गया है

Scanned with CamScanner

बल्कि सदामत का रास्ता मौके पर चालू है। अप्रार्थी संख्या 02 के जवाब को शामिल पत्रावली किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता को जवाब हेतु समय दिया जाकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक दिनांक 16.08.2022 नियत की। निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 16.08.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जवाब हेतु एक और अवसर चाहा। अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब हेतु एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.08.2022 नियत की। निर्धारित तारीख पेशी पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी वास्ते साक्ष्य दिनांक 08.09.2022 नियत की इसी दरमियान अप्रार्थी अधिवक्ता ने स्वय उपस्थित होकर छोटी तारीख पेशी हेतु निवेदन किया। जनहित को देखते हुए अप्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 02.09.2022 मुकर्रर की जिसे अप्रार्थी अधिवक्ता ने स्वयं नोटेड किया।

निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 02.09.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर साक्ष्य हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया। हमने अप्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.09.2022 मुकर्रर की। इसी दरमियान अप्रार्थी अधिवक्ता ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू के समक्ष स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके फलस्वरूप श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चुरू ने अपने आदेश रीडर/2022/1649 दिनांक 23.08.2022 द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट चाही। हमने कार्यालय हाजा के आदेश कमांक रीडर/2022/1776 दिनांक 07.09.2022 द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू को प्रस्तुत कर दी। इसी दरमियान प्रार्थीगण व अपार्थी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य स्वरूप गवाहो के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.09.2022 से पूर्व न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू के समक्ष अप्रार्थीगण की और से दायर स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति प्राप्त हो चुकी। न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू द्वारा उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। अतः उभय पक्षकारान को साक्ष्य शपथ पत्र की एक-एक प्रति उपलब्ध करवायी जाकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी वास्ते जिरह साक्ष्य प्रार्थी दिनांक 06.10.2022 नियत की।

इसी बीच दो तारीख पेशी बीत जाने के बाद भी अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के साक्ष्य पर जिरह नहीं किये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थी अधिवक्ता को न्याय हित में अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.10.2022 मुकर्रर की। निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 17.10.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी संख्या 01 ता 04 पर जिरह की गयी तथा शेष साक्ष्य हेतु पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.10.2022 मुकर्रर की। निर्धारित तारीख पेशी पर अभिभाषक संघ का कार्य बहिष्कार होने की वजह से पत्रावली को आगामी दिनांक 20.10.2022 की तारीख पेशी में रखा गया। दिनांक 20.10.2022 को साक्ष्य प्रार्थी सख्या 05 ता 08 पर जिरह की गयी। तथा अप्रार्थी अधिवक्ता ने जिरह की कार्यवाही सम्पूर्ण करने का निवेदन किया। तत्पश्चात हमने पत्रावली को साक्ष्य अप्रार्थीगण पर जिरह हेतु दिनांक 21.10.2022 में रखा लेकिन निर्धारित तारीख पेशी पर प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जिरह न करने हेतु निवेदन किया तथा पत्रावली में जिरह की कार्यवाही बन्द करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा जिरह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamalesh Singh Maharia
Date: 2022.12.14 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नहीं किये जाने पर अप्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गयी। पत्रावली में जिरह व बहस की कार्यवाही पूर्ण होने के फलस्वरूप पत्रावली को और अधिक लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है साथ ही पत्रावली के लम्बित होने के दौरान प्रार्थीगण द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय व श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष भी प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है उक्त प्रार्थना पत्रों में भी प्रार्थीगण ने खेतों व कब्रिस्तान के रास्ते को अविलम्ब खुलवाने का निवेदन किया था। अतः हमने जनहित में विधिसम्वत् निर्णय पारित किया जाना उचित समझा।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपने जवाब दिनांक 22.08.2022 में अंकित किया है कि प्रार्थीगण का रोही ग्राम घड़सीसर के खसरा नं 229 खेत में से होकर कभी आवागमन नहीं रहा है जबकि खसरा नं. 229 की उत्तरी सींव सींव एक कटाणी रास्ता गुजरता है जिससे प्रार्थीगण का आवागमन होता रहा है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि मैंने सदामत के रास्ते को अवरूद्व नहीं किया है बल्कि खसरा नं. 229 में सदामत का रास्ता चालू है जिससे प्रार्थीगण आवागमन कर रहें है। इसके साथ ही विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी अंकित किया कि प्रार्थीगण ने राजनैतिक रूप से अप्रार्थी को प्रताड़ित करने के उद्येश्य से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः प्रार्थना पत्र के सही मूल्यांकन हेतु दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जानी उचित है।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्रों का भी गहनता से अध्ययन किया। उभय पक्षों ने ही अपने शपथ पत्रों में अपने अपने पक्ष की बातें अंकित की है जिसमें अप्रार्थीगण के साक्ष्यों ने उक्त रास्ते को यहां से कभी नहीं गुजरना बताया तो प्रार्थीगण ने हमेशा से ही आवागमन हेतु इसी रास्ते का प्रयोग किया जाना बताया। तथा प्रार्थीगण के साक्ष्य पर अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि " सभी साक्ष्य प्रार्थी संख्या 01 ता 08 ने यह अंकित करवाया है कि उक्त रास्ता वर्षो से यहीं से गुजरता है, जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। उक्त विवादित खसरा संख्या 229 की उतरी सींव से गुजरने वाला कटाणी रास्ता प्रार्थीगण के खेतों व कब्रिस्तान की और न जाकर अन्य दिशा में जाता है। प्रार्थीगण ने खेतों का रास्ता बंद हो जाने के परिणामस्वरूप परेशान होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था न कि किसी राजनैतिक दवाब के चलते, प्रार्थीगण के खेतों का उक्त रास्ता एकमात्र आवागमन का रास्ता है, तथा पत्रावली के लम्बित होने के स [illegible] मय मुस्लिम समुदाय के बच्चे को गांव से सरदारशहर लाकर दफनाना पड़ा क्योंकि मुस्लिम कब्रिस्तान का रास्ता अप्रार्थीगण [illegible] किया हुआ है।

इसके साथ ही हल्का पटवारी व भू अ. नि. [illegible] प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा नं. 229 से होकर एक पगडंडी / सदामत का रास्ता गुजरता था जिस पर मुस्लिम कब्रिस्तान [illegible] गेट लगा हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamalesh Singh Maharia
Date: 2022.12.14 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पत्रों का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों में प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्व होना लिखा गया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सभी शपथ पत्रों में खसरा नं. 229 में से होकर कभी भी रास्ता नहीं गुजरना

Scanned with CamScanner

बताया। साथ ही दोनों पक्षों के शपथ पत्रों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अपने-अपने पक्ष के शपथ ग्रहिता की भाषा एक ही व बनावटी प्रतीत होती है जो सिर्फ न्यायालय का समय जाया करने के लिए प्रस्तुत की गयी है।

पत्रावली के अद्योपान्त अध्ययन, हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट, अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता के जवाब, अप्रार्थी संख्या 02 के स्वयं के जवाब तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रार्थी पर की गयी जिरह व अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का गहनता से परीक्षण किया। परीक्षण उपरांत यह तथ्य सामने आया कि अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में अंकित किया है कि खसरा नं 229 रोही मौजा घड़सीसर में से कोई सदामत का रास्ता नहीं गुजरता है इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 02 ने यह अंकित किया है कि मेरे द्वारा कोई रास्ता नहीं रोका गया है व खसरा नं. 229 में सदामत का रास्ता चालू है। इससे यह स्पष्ट है कि खसरा नं 229 से सदामत का रास्ता गुजरता है। इसके संबंध में हल्का पटवारी व भू.अ.नि. ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि खसरा नं. 229 में से पगडंडी/रास्ता गुजरता था जो वर्तमान में बंद है। इससे स्पष्ट होता है कि खसरा नं. 229 रोही मौजा घड़सीसर में से सदामत का रास्ता गुजरता है जो प्रार्थीगण यथा खसरा नं. 227, 228 का एकमात्र आवागमन का रास्ता है जिसे अप्रार्थीगण ने अवरूद्व कर दिया है।

रा.का.अधि. 1955 की धारा 251 के अध्याय 16 प्रकीर्ण में दिये गये मार्ग व अन्य निजी सुखाचारों के अधिकार धारा 251 के अनुसार एक भूधारक (कृषक) द्वारा अन्य कृषकों की भूमि से होकर अपनी जोत पर आने-जाने के रास्ते या अन्य कोई अधिकार (जैसे- खेत में सिचाई के लिये पानी ले जाना या कृषि औजारों और संसाधानों को ले जाना) जिसका व उपभोग करता आ रहा है। उनक उपभोग करने में अन्य कृषक द्वारा कोई बाधा डाली जाये तो वह तहसीलदार को आवेदन कर इस प्रकार की बाधा को हटवा सकता है।

कानून के सारभूत प्रावधानों के अनुसार सदामत के रास्ते को रोकने, जिससे आवागमन बाधित हो, का किसी भी व्यक्ति को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नं 229 रोही मौजा घड़सीसर में रोका गया रास्ता जो प्रार्थीगण के खेतों व मुस्लिम कब्रिस्तान का एकमात्र रास्ता है जिसके रूक जाने से प्रार्थीगण का अपने खेतों का व मुस्लिम कब्रिस्तान तक जाने वाले लोगों आना-जाना बंद हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः गैर कानूनी रूप से रोके गये उक्त सदामत रास्ते को खुलवाना हम उचित समझते है ताकि प्रार्थीगण या उनकी तरफ से कोई काश्तकार अपने खेतों में व मुस्लिम कब्रिस्तान तक आना जाना कर सकें अतः आदेश दिया जाता है कि खसरा नं. 229 रोही मौजा घडसीसर में अवरोध लगाकर रोका गया रास्ता जिसे भू.अ.नि. तथा हल्का पटवारी रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है, को नक्शे में दर्शाये अनुसार तुरन्त खुलवाया जावें । नायब तहसीलदार सरदारशहर के निर्देशन में निर्णय की पालना हेतु टीम गठित करने का आदेश जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमीली व तरतीबी दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamalesh Singh Maharia
Date: 2022.12.14 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार
सरदारशहर

Scanned with CamScanner